फैक्स/डाक

संख्या -106/511/84-2-2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर 2013

विषय विधानमण्डल की अनुसूचित जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रत्यावेदन पर कार्यान्वयन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खाद्य एवं रसद अनुभाग-2 के पत्र संख्या-2262/29-2-2013, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मामले में वांछित आख्या खाद्य एवं रसद अनुभाग-2 को उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रति अनुभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 106/511(1)/84-2-2013,तद्-दिनांक

प्रतिलिपि- खाद्य एवं रसद अनुभाग-2 को उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in